भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3635
दिनांक 21.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नीतिगत परिवर्तन के कारण लोगों का वापस घर आना

3635. **श्री परषोत्तमभाई रुपाला:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा जैसे देशों की नीति में परिवर्तन के कारण लोग वापस घर आ रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा ऐसे देशों में हमारे नागरिकों की कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या विशिष्ट कार्रवाई की गई है/की जानी है;
(घ) क्या हमारा दूतावास ऐसे नीतिगत परिवर्तन के कारण प्रभावित हुए नागरिकों को कानूनी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहा है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या उन्हें देश में पुन: बसाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) से (घ) कनाडा और अमेरिका की में नीति/दृष्टिकोण में हाल ही में हुए प्रवास-संबंधी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सरकार ने ऐसा कोई रुझान नहीं देखा है जो इन देशों से भारत की ओर विपरीत प्रवास की ओर संकेत करता है।
भारत सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमारे मिशन और कोंसलावास भारतीय नागरिकों की सुरक्षा/संरक्षा और कल्याण से संबंधित सभी संगत मुद्दों को हर संभव अवसर पर संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाते हैं।
अपनी राष्ट्रीय प्रवास नीति निर्धारित करना राष्ट्रों का संप्रभु अधिकार है और अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में प्रवास को नियंत्रित करना उनका विशेषाधिकार है। अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों, नीतियों, प्राथमिकताओं और प्रवेश, निवास और कार्य की आवश्यकताओं के आधार पर, राष्ट्र अपनी संबंधित प्रवास नीतियों में सुधार कर सकते हैं।
भारत सरकार राजनयिक माध्यमों से भागीदार देशों के साथ कोंसली और प्रवास संबंधी मामलों पर लगातार चर्चा कर रही है, जिसमें भारतीय छात्रों और पेशेवरों के वैध प्रवास और आवाजाही के तरीके को सुव्यवस्थित करना और भारतीय नागरिकों के लिए अल्पकालिक पर्यटन और व्यावसायिक यात्रा

को सुविधाजनक बनाना शामिल है। भारत ने नियमित प्रवास मार्गों को मजबूत करने और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने, अनियमित प्रवास को रोकने और कुशल आवाजाही को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रवासन और आवाजाही भागीदारी करारों (एमएमपीए) और श्रम आवाजाही करारों (एलएमए) पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

विदेश में रहने वाले भारतीयों को सहायता केवल मौजूदा नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है।

आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और उसमें सहयोग प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलें सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिनमें विदेश से लौटने वाले भारतीय नागरिक भी शामिल हैं।

*****